

## कार्यालय:-जिला विधिक सेवा प्राधिकार, चतरा।

आदेश सं०- 12 दिनांक:- 20/02/2025.

माननीय झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के पत्रांक सं०-झालसा/3670 दिनांक 06.12.2024 पत्रांक सं०-झालसा/17 दिनांक 03.01.2025 के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, चतरा के तत्वावधान में दिनांक 22.02.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से व्यवहार न्यायालय परिसर, चतरा में आयोजित मासिक लोक अदालत-सह-Special Lok Adalat on Matrimonial and NI Act cases में वादों के निष्पादन हेतु पीठ गठित किया गया है, जो निम्न प्रकार से है :-


बेंच संख्या	पीठासीन पदाधिकारी का नाम	सदस्यों का नाम	वाद की प्रकृति
1	श्री कमल कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, चतरा। स्थान-Family Court.	1. श्री कृष्णा सिंह, पैनल अधिवक्ता, चतरा। 2. श्री सुबोध कुमार मिश्रा, पैनल अधिवक्ता, चतरा।	पारिवारिक वाद के मामले।
2	श्री शहजाद मोहम्मद शहजाद, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, चतरा। स्थान-A.S.J.-I, Court.	1. श्री अशोक साहू, पैनल अधिवक्ता, चतरा। 2. श्री सीताराम यादव, पैनल अधिवक्ता, चतरा।	सिविल एवं आपराधिक अपील एवं रिवीजन मामले, मोटर दुर्घटना दावा वाद से संबंधित मामले एवं सभी प्री-लिटिगेशन एवं विचाराधीन मामले।
3	श्री सुरज प्रकाश ठाकुर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ, चतरा। स्थान-A.S.J.-IV, Court.	1. श्री विनोद पाठक, पैनल अधिवक्ता, चतरा। 2. श्री दिलीप सिन्हा, पैनल अधिवक्ता, चतरा।	बिजली विभाग के मामले।
4	श्री दया राम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सिविल जज सिनियर डिविजन प्रथम, चतरा। स्थान-A.C.J.M. Court.	1. श्री दिनेश कु० सिन्हा, पैनल अधिवक्ता, चतरा। 2. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा, पैनल अधिवक्ता, चतरा।	सभी तरह के G.R. Cases, सभी तरह के Complaint Cases, वन विभाग के मामले, भूमि एवं राजस्व (Land and Revenue Cases) के मामले, फौजदारी मामले, कार्यपालिका न्यायालय के मामले।
5	श्री सोनाली सिंह, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, चतरा। स्थान-S.D.J.M. Court.	1. श्री इन्दुभूषण पाण्डेय, पैनल अधिवक्ता, चतरा। 2. श्री सुजीत कुमार घोष, पैनल अधिवक्ता, चतरा।	सिविल वाद, श्रम अधिनियम, उत्पाद, मापतौल, सर्टिफिकेट वाद, वसूली वाद, नगरपालिका से सम्बन्धित सभी मामले, B.S.N.L. के मामले, सभी बैंक के ऋण वसूली से संबंधित मामले एवं अन्य सभी प्रकार के प्री-लिटिगेशन एवं विचाराधीन मामले।
6	श्री प्रशांत सिंह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चतरा। स्थान-Sri Prashant Singh, JM 1st Class, Chatra Court.	1. श्री अक्षय कुमार सिंह, पैनल अधिवक्ता, चतरा। 2. श्री प्रवीण रंजन, पैनल अधिवक्ता, चतरा।	धारा 138 N.I.Act. के मामले,


बेंच सं०	तृतीय वर्गीय कर्मचारी	चतुर्थवर्गीय कर्मचारी
1	श्री नवीनलाल गुप्ता	श्री विक्की वर्मा
2	श्री विनोद सिन्हा	श्री अरबिन्द कुमार
3	श्री अनुप कुमार	श्री सुदर्शन ठाकुर
4	श्री कुन्दन लाल	मो० शहाबुद्दीन
5	श्री संजय कुमार	श्री तुलसी सिंह
6	श्री रघुवंश कुमार	मो० माजिद

उपरोक्त पदाधिकारी तथा कर्मचारीगण के अनुपस्थित रहने पर उनके प्रभारी कार्य करेंगे।

नोट:-

1. किसी भी पदाधिकारी के अवकाश में रहने पर उनके स्थान पर उनके प्रभारी पदाधिकारी पीठासीन पदाधिकारी होंगे।
2. सभी बेंच (पीठ) के पीठासीन पदाधिकारियों से अनुरोध किया जाता है, कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली/झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार सभी निस्तारित वादों का एवार्ड तैयार करवायेगें जो तीन प्रतियों में होगा, जिसकी एक-एक कॉर्बन प्रति पक्षकारों को और उसकी मूल प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लिए सुरक्षित किया जायेगा।
3. सभी न्यायिक पदाधिकारीगण के साथ पदस्थापित समस्त तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारी अपने पीठासीन पदाधिकारी के निर्देशानुसार तत्संबंधी पीठ में भी कार्य सम्पादित करेंगें, संबंधित बेंच के तृतीय वर्ग के कर्मचारी संबंधित बेंच में निष्पादित होने वाले मामलों का स्टेटमेंट/डेटा भी तैयार करेंगें और उसकी रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में उपलब्ध करवायेगें।
4. व्यवहार न्यायालय चतरा के सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यकतानुसार सम्बन्धित पीठों द्वारा मांग किए जाने पर किसी भी संचिका को, तुरंत प्रस्तुत करने हेतु तत्पर रहेगें और आवश्यकतानुसार कार्य का संपादन करेंगें।

  
सचिव,  
जिला विधिक सेवा प्राधिकार,  
चतरा।

  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह-अध्यक्ष,  
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, चतरा।  
